न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 22/2019

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लवाण

प्रार्थी

बनाम

1. किशना पुत्र श्योनारायण
2. रामचन्द पुत्र जगदीश
3. नाथी पत्नी कालू
4. मनोज पुत्र कालू
5. अनिकेत(ना.बा.) पुत्र कालू जरिये संरक्षक माता नाथी देवी

समस्त जाति मीना निवासी रजवास तहसील लवाण

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सहपठित धारा 232 आरटीए

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: अप्रार्थी सं. 1 लगा. 5 अनुपस्थित।

:–निर्णयः– दिनांकः 2.8.2024

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार(भूमिधारी) तहसील लवाण ने प्रतिनिधि राजस्थान सरकार की हैसियत से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की अनुपालना में यह रेफरेन्स इस न्यायालय में पेश किया है।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। किन्तु अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए और न जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया और ना ही बहस के दौरान उपस्थित हुए। बहस राजकीय अधिवक्ता सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड सम्वत 2010–22 में ग्राम रजवास तहसील लवाण स्थित भूमि खसरा नम्बर 30 रकबा 19 बिस्वा गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। भूमि एकीकरण सम्वत 2019 में उक्त खसरा नम्बर 30 रकबा 19 बिस्वा के परिवर्तित खसरा नम्बर 19 रकबा 19 बिस्वा बना। भू–प्रबन्ध अभिलेख सम्वत 2041–2060 की संक्रिया में उक्त खसरा नम्बर 19 रकबा 19 बिस्वा से खसरा नम्बर 35 रकबा 0.04 है. किस्म बंजड़ बना, जो उपखण्ड अधिकारी दौसा के आदेश दिनांक 4.7.92 के द्वारा अप्रार्थी गेंदा पुत्र जीता जाति माली निवासी रजवास के नाम आवंटन की गई तथा नामान्तरकरण संख्या 38 दिनांक 21.5.1993 के द्वारा श्री गेंदा पुत्र जीता [illegible] निवासी रजवास के नाम गैरखातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। तत्पश्चात नामांतरकरण सं. [illegible]07 दिनांक 29.11.2001 से खातेदार दर्ज हुई। जमाबंदी संवत 2074–77 के खाता सं. 28 में [illegible] खसरा नम्बर 35 रकबा 0.04 है0 किस्म बंजड को खातेदार गेंदा पुत्र जीता माली सा.देह खातेदार द्वारा जरिये नामांतरकरण सं. 132 दिनांक 18.6.2002 श्री किशना, जगदीश पिता श्योनारायण मीना निवासी रजवास को विक्रय की गई। तद्पोरान्त विरासत/हकत्याग जगदीश पुत्र श्योनारायण 1/2 के बजाय रामचन्द पुत्र जगदीश, मनोज पुत्र कालू, नाथी पत्नी कालू, अनिकेत (ना.बा.) पुत्र कालू संरक्षक माता नाथी देवी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:32:35 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किशना पुत्र श्योनारायण हि. 1/2 के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकार्ड रही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं.1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणों को निरस्त कर ऐसी जलोद गैर मुमकिन भूमियों को पुनः पूर्वानुसार दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये है। अतः तहसीलदार लवाण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण स्वीकार फरमावे।

बहस राजकीय अधिवक्ता पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम रजवास तहसील लवाण स्थित भूमि खसरा नम्बर 30 रकबा 19 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड सम्वत 2010–22 में गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। भूमि एकीकरण सम्वत 2019 में खसरा नम्बर 30रकबा 19 बिस्वा के परिवर्तित खसरा नम्बर 19 रकबा 19 बिस्वा बना। भू–प्रबन्ध अभिलेख सम्वत 2041–2060 की संक्रिया में उक्त खसरा नम्बर 19 रकबा 19 बिस्वा से खसरा नम्बर 35 रकबा 0.04 है. किस्म बंजड बना। उक्त भूमि खसरा नम्बर 35 रकबा 0.04 है0 नामान्तरकरण संख्या 38 दिनांक 21.5.1993 के द्वारा श्री गेंदा पुत्र जीता जाति माली निवासी रजवास के नाम गैरखातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। तत्पश्चात तत्पश्चात नामांतरकरण सं. 107 दिनांक 29.11.2001 से खातेदार दर्ज हुई। उक्त भूमि खसरा नम्बर 35 रकबा 0.04 है0 किस्म बंजड को खातेदार गेंदा पुत्र जीता माली सा.देह खातेदार द्वारा जरिये नामान्तरकरण सं. 132 दिनांक 18.6. 2002 श्री किशना, जगदीश पिता श्योनारायण मीना निवासी रजवास को विकय की गई। तद्उपरान्त विरासत/हकत्याग जगदीश पुत्र श्योनारायण 1/2 के बजाय रामचन्द पुत्र जगदीश, मनोज पुत्र कालू, नाथी पत्नी कालू, अनिकेत (ना.बा.) पुत्र कालू संरक्षक माता नाथी देवी, किशना पुत्र श्योनारायण हि. 1/2 के नाम जमाबंदी संवत 2074–77 के खाता सं. 28 में खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि विवादग्रस्त आराजी पूर्व में गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकॉर्ड रही है व वर्तमान में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफर किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार लवाण को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावें एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार लवाण को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 02.8.2024 को मेरे [illegible]वाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:32:35 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official